उद्यमी एवं खादी ग्रामोद्योग वेल्फेयर संस्था और अन्य

बनाम

उत्तरप्रदेश राज्य और अन्य

5 दिसंबर, 2007

[एस.बी.सिन्हा और जे.एम. पांचाल, न्यायाधिपतिगण]

भारत का संविधान 1950. अनुच्छेद 226-रिट याचिका-दायर करना-तात्विक तथ्य को छिपाना-पोषणीयता-रिट याचिका इस तथ्य को छिपाते हुए कि पहले समान वाद हेतुक पर चार रिट याचिकाएं दायर की गई थी-खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम के प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए ऐसी ही एक याचिका जनहित याचिका के तहत दायर की गई- घोषित किया गयाः प्रकृति में न्यायसंगत रिट उपचार का सहारा स्वच्छ हाथों से लिया जाना चाहिए- इस तरह के उपचार का सहारा बार बार लिया जाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है-तथ्यों पर रिट याचिकाकर्ता ने समान वाद हेतुक पर सभी रिट याचिकाएं दायर की थी-पी. आई. एल. भी इसी मुद्दे से संबंधित थी.इसलिए पोषणीय नहीं है.उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1960- धारा 35 क|

अपीलार्थी-समिति ने ऋणों के भुगतान में चूक की। वसूली की कार्यवाहियां शुरू की गई। वसूली कार्यवाहियों को प्रश्नगत करते हुए अपीलार्थी द्वारा कई रिट याचिकाएं दायर की गई। इसने एक जनहित याचिका भी दायर की जिसमे यू.पी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1960 की धारा 35 क की संवैधानिकता को प्रश्नगत करते हुए अपीलार्थी संख्या 2 को पक्षकार बनाया गया। अपीलार्थी द्वारा अन्य रिट याचिकाएं भी दायर की गई। नए सिरे से वसूली कार्यवाहियां शुरू की गई। इसके विरुद्ध नई रिट याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित करते हुए याचिका खारिज कर दी गई कि रिट याचिका पोषणीय नहीं है क्योंकि यह तात्विक तथ्यों का अवरोध करते हुए दायर की गई है अर्थात समान वाद हेतुक पर पूर्व में याचिकाएं दायर की जा चुकी है। जैसी कि वर्तमान अपील है।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने निर्धारित किया किः

1.1 . यद्यपि चार रिट आवेदनों में की गई प्रार्थनाएं स्पष्ट रूप से अलग हैं रिट आवेदनों को देखकर यह स्पष्ट है कि प्रत्येक मामले में मुख्य वाद अपीलार्थियों को बैंक द्वारा दी गई राशि की वसूली पर केंद्रित है। स्पष्ट है कि कार्यवाहियों के विभिन्न चरणों में पारित आदेश और मूल राशि पर ब्याज पर नई गणना के आधार पर नई कार्यवाहियाँ भी समय समय पर सवालों के घेरे में रही है। यहाँ तक कि एक जनहित याचिका भी दायर की

गई जिसमे अपीलार्थी संख्या 2 एक पक्षकार था। यद्यपि यू.पी. खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1960, की धारा 35 क की वैधता इसमें उठाए गए मुद्दों में से एक थी लेकिन वसूली की कार्यवाही भी इसकी विषयवस्तु थी। [पैरा 9]

अरुणिमा बरुआ बनाम भारत संघ और अन्य,[2007] 6 एससीसी 120, पर भरोसा किया।

1.2. प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 ने अपने प्रति-शपथपत्र में न्यायालय का ध्यान उच्च न्यायालय द्वारा एक रिट याचिका में पारित आदेश की ओर आकर्षित किया जिसमे यह देखा गया कि यह वसूली के खिलाफ छठी रिट याचिका थी। उक्त रिट याचिका भी खारिज की गई। उक्त प्रति- शपथपत्र में आगे यह भी प्रकट किया गया कि समिति के विरुद्ध वसूली कार्यवाहियों को रोकने के उनके प्रयत्न में असफल होने के बाद अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा एक काल्पनिक कल्याण संस्था, उद्यमी एवं खादी ग्रामोद्योग कल्याण संस्था के नाम से शुरू की गई।[पैरा 12,13 और 14]

1.3. अपीलार्थियों की ओर से यह प्रयत्न 'कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग' कहा जाना चाहिए। रिट उपचार न्यायसंगत है। उच्चतर न्यायालय के समक्ष आने वाले व्यक्ति को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। इसे न केवल किसी भी तात्विक तथ्य को छिपाना चाहिए बल्कि विधायी कार्यवाहियों का बार बार सहारा भी नहीं लेना चाहिए जिससे कानून की

प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है। इस तरह बार बार रिट याचिका दायर करना आपराधिक अवमानना है। [पैरा 15]

महाधिवक्ता बिहार राज्य बनाम मध्य प्रदेश खैर उद्योग और अन्य [1980] 3 एस. सी. सी. 311 पर भरोसा किया।

2. जनहित याचिका में यू. पी. खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, अधिनियम, 1960 की धारा 35 क को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि सहकारी समितियों को भी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के प्रावधानों का सहारा लेना आवश्यक था। इस तरह के तर्क को इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। [पैरा10]

ग्रेटर बॉम्बे कॉप. बैंक लिमिटेड बनाम यूनाइटेड यार्न टेक्स [पी] लिमिटेड और अन्य [2007], 6 एस. सी. सी. 236, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 2007 की 5637

2006 की याचिका संख्या 4274 [एम/बी] में उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ पीठ लखनऊ के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांकित 19.7.2006 से।

अपीलार्थियों की ओर से उमा दत्ता।

प्रत्यर्थियों की ओर से गिरधर जी. उपाध्याय, विनीता जी. उपाध्याय, सैयद अली अहमद सैयद तनवीर अहमद, विजय कुमार पंडिता, आशा उपाध्याय, आर डी उपाध्याय, जी. के. श्रीवास्तव, सर्व मित्तर(मित्तर एंड मित्तर कंपनी के लिए), एस. वसीम ए., कादरी राजीव दुबे, जुबैर अहमद खान और कमलेंद्र मिश्रा।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति एस. बी. सिन्हा द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. तात्विक तथ्य के कथित दमन के लिए एक रिट याचिका को खारिज करने के उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का विस्तार इस अपील में शामिल है जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ पीठ लखनऊ द्वारा पारित दिनांक 19.07.2006 के निर्णय और आदेश 2006 का डब्ल्यू. पी. सं. 4274(एम/बी) से उत्पन्न होता है।

3. मामले का मूल तथ्य विवादित नहीं है।

अपीलार्थी एक सहकारी समिति है। इसने 'एल्यूमीनियम पाॅटरी' के निर्माण के लिए उद्योग स्थापित करने के लिए प्रत्यर्थीगण से ऋण के लिए आवेदन किया। वर्ष 1991 में 5,24,000/- रु. की राशि का ऋण स्वीकृत किया गया। प्रत्यर्थीगण द्वारा 3,09,000/-.रु. की राशि रिहा की गई। एक बार फिर, वर्ष 1996 में 90,000 रु. की राशि स्वीकृत की गई।

इसने 'कंसोर्टियम बैंक क्रेडिट स्कीम' के तहत पी. वी. सी. शू सोल के निर्माण के लिए एक इकाई स्थापित करने के लिए 22,00,000/- रु. की राशि का ऋण मंजूर करने के लिए आवेदन किया। 16,20,000/-रु. की राशि स्वीकृत की गई और 13,20,000/-रु. रिहा कर दिये गए। समिति ने कथित तौर पर भुगतान करने में चूक की। समिति के खिलाफ वसूली कार्यवाहियां शुरू की गई। इसके द्वारा इसकी वैधता पर सवाल उठाते हुए कई रिट याचियाएं दायर की गई।

4. एक कथित जनहित याचिका, जिसमें सुरेशचंद्र शर्मा (इसमें अपीलार्थी संख्या 2) भी एक पक्षकार थे, निम्नलिखित अनुतोष के लिए प्रार्थना करते हुए दायर की गईः

"(i) यू. पी. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1960, की धारा 35 क के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करना और इन्हे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 300 क के प्रावधानों से परे घोषित करनाः

(ii) यू . पी . खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ द्वारा जारी अनुलग्नक संख्या 4, 5 और 6 में निहित वसूली प्रमाणपत्र दिनांकित 14.9.05, 19.7.05, और 10.9.2002 को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

(iii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करना जिसमें विरोधी पक्ष संख्या 2,3 और 4 को भूराजस्व के बकाया के समान वसूली

के अलावा कानून की उचित प्रक्रिया के माध्यम से याचिकाकर्ता समिति के सदस्यों के खिलाफ बकाया राशि की वसूली करने का आदेश दिया जाए...."

5. ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा कुछ अन्य रिट याचिकाएं भी दायर की गई थीं जैसा कि प्रत्यर्थियों की ओर से दायर प्रति शपथपत्र से प्रकट होता है।

हालाँकि नई वसूली प्रक्रिया शुरू की गई थी जो कि अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं में चुनौती का विषय नहीं थी।

6. एक नई रिट याचिका दायर की गई। इसे आक्षेपित निर्णय के कारण यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि अपीलार्थियों ने तात्विक तथ्य को छुपाया है, अर्थात समान वाद हेतुक पर चार रिट याचिकाएं दाखिल करना, यह पोषणीय नहीं था। इस प्रकार अपीलार्थी हमारे सामने है।

7. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री उमा दत्ता, यह प्रस्तुत करेंगे कि रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दिया गया कथन कि समान वाद हेतुक पर पर कोई अन्य रिट याचिका दायर नहीं की गई थी, चार रिट आवेदनों के अवलोकन से सही था जिसका संदर्भ उच्च न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय में दिया गया था, ऐसा प्रतीत होता है कि वे विभिन्न वाद हेतुक पर दायर किए गए थे।

8. दूसरी ओर प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस. वसीम ए. कादरी और श्री गिरधर जी. उपाध्याय ने प्रस्तुत किया कि विभिन्न रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने वसूली की कार्यवाही, उद्धरणों और संपत्ति के विक्रय को प्रश्नगत किया है, क्योंकि आदेश समान वसूली कार्यवाहियों के विभिन्न चरणों में पारित किये गये थे।

9. यद्यपि चार रिट आवेदनों में की गई प्रार्थनाएं स्पष्ट रूप से अलग है रिट आवेदनों को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट है कि प्रत्येक मामले में मुख्य वाद अपीलार्थियों को बैंक द्वारा दी गई राशि की वसूली पर केंद्रित है। स्पष्ट है, कार्यवाहियों के विभिन्न चरणों में पारित आदेश और मूल राशि पर ब्याज पर नई गणना के आधार पर नई कार्यवाहियाँ भी समय समय पर सवालों के घेरे में रही है। जैसा कि पहले भी बताया गया है, एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें अपीलार्थी संख्या 2 भी एक पक्षकार था। यद्यपि यू. पी. खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा 35 क की वैधता इसमें उठाए गए मुद्दों में से एक थी लेकिन वसूली कार्यवाही भी इसकी विषयवस्तु थी।

10. जनहित याचिका में यू. पी. खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा 35 क को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि सहकारी समितियों को भी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 के प्रावधानों का सहारा लेना आवश्यक था। इस

तरह के तर्क को इस न्यायालय द्वारा ग्रेटर बॉम्बे कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड बनाम यूनाइटेड यार्न टेक्स (पी.) लिमिटेड और अन्य, [2007] 6 एस.सी.सी. 236 में स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है।

11. चूंकि इस क्षेत्र में लागू विधि को अरुणिमा बरुआ बनाम भारत संघ और अन्य, [2007] 6 एस.सी.सी. 120, में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शर्तों में, हाल ही में निर्धारित किया गया है, उसी को दोबारा दोहराना आवश्यक नहीं है।

हालाँकि इस मामले के विशिष्ट तथ्य में, यह देखा गयाः

"20. इस मामले में हालांकि, वाद दायर करना छिपाना अब एक तात्विक तथ्य नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ सही हो सकती है कि, इस प्रकृति के मामले में न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लागू नहीं किया जा सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई अन्य रिट याचिक दायर नही की जाएगी। जब सभी तथ्यों का खुलासा करते हुए अन्य रिट याचिका दायर की जाती है, अपीलार्थी स्वच्छ हाथों के साथ रिट न्यायालय के समक्ष आता है, न्यायालय उस समय, न्याय तक पहुँच के लिए अपीलार्थी के मानवाधिकार को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न्यायिक पुनर्विलोकन

भारत के संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, गुण-दोष के आधार पर मामले का निर्धारण करने का हकदार होगा'।"

12. प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 ने अपने प्रति-शपथपत्र में हमारा ध्यान उच्च न्यायालय द्वारा 2003 की याचिका सं. 25359 में पारित दिनांक 12.06.2003 के आदेश की ओर आकर्षित किया जिसमें यह देखा गया थाः

"वसूली के खिलाफ यह छठी रिट याचिका है। पाँचवीं रिट याचिका संख्या 2003 की 22933 में इस न्यायालय द्वारा आवासीय मकान सं.22 की नीलामी पर रोक लगा दी गई है। अब अन्य सम्पतियों की नीलामी /बेचे जाने की मांग की जा रही है। मुझे इस स्तर पर वसूली के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला बनना नहीं पाया जाता है।"

13. उक्त रिट याचिका को भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांक 06.12.2005 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

14. प्रत्यर्थियों ने अपने प्रति-शपथपत्र में कहाः

"21. कि 03.06.2003 और 09.06.2003 के खिलाफ उल्लिखित घटनाओं के जवाब में यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि प्रशस्ति पत्र जारी किए जाने के बाद भी, वसूली के

तहत राशि का भुगतान नहीं किया गया था,विक्रय घोषणा आवश्यक कानूनी कार्यवाही थी। मामले के इस दृष्टिकोण में, रिट याचिका जो कि पहले की रिट याचिकाओं की प्रकृति की थी न केवल गलत थी बल्कि समिति द्वारा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी थी। यहां यह बताना उचित है कि वसूली प्रमाण पत्र जो 14.09.2005 और 19.07.2005 को जारी किए गए थे तब से, ऋण राशि पर और ब्याज उपार्जित हुआ था जिसके लिए नई वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता थी।

हालाँकि, वसूली प्रमाणपत्र दिनांकित 10.09.2002, रिट याचिका दायर करने से पहले जारी किया गया थे। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 के लिए तथाकथित संस्था के साथ हाथ मिलाने का कोई अवसर नहीं था, याचिकाकर्ता संख्या 1ने इन वसूली प्रमाणपत्रों को चुनौती दी। आपत्ति,जो याचिकाकर्ताओं द्वारा लखनऊ खंड पीठ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष की गई थी, स्पष्ट रूप से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग थी।''

उक्त प्रति-शपथपत्र में आगे यह भी प्रकट किया गया है कि समिति के विरुद्ध वसूली की कार्यवाहियों को रोकने के उनके प्रयत्न में असफल होने के बाद, अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा एक काल्पनिक कल्याण संस्था उद्यमी एवं खादी ग्रामोद्योग कल्याण संस्था के नाम से शुरू की गई। अतः हमारा यह मत है कि यहां अपीलकर्ताओं की ओर से किए गए प्रयास को 'कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग' कहा जाना चाहिए।

15. रिट उपचार न्यायसंगत है। उच्चतर न्यायालय के समक्ष आने वाले व्यक्ति को स्वच्छ हाथों के साथ आना चाहिए। इसे न केवल किसी भी तात्विक तथ्य को छिपाना चाहिए, बल्कि विधायी कार्यवाहियों का बार बार सहारा भी नहीं लेना चाहिए जिससे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो।

महाधिवक्ता, बिहार राज्य बनाम मै. मध्य प्रदेश खैर इंडस्ट्रीज और अन्य, [1980] 3 एस. सी. सी. 311, में इस न्यायालय का यह मत था कि इस प्रकार बार-बार रिट याचिका दायर करना आपराधिक अवमानना है।

16. उपरोक्त कारणों से, इस अपील में कोई योग्यता नहीं है, इसे लागत के साथ तदनुसार खारिज किया जाता है। वकील का शुल्क रुपये 50,000/-निर्धारित किया गया।

अपील खारिज की गई।

के.के.टी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी भावना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।